



प्रेस नोट - थाना नौबस्ता कानपुर नगर दि०- 20.11.2020

दिनांक 17.11.2020 को एक व्यक्ति द्वारा अपनी 05 वर्षीय पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा घर में छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 1036/2020 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)(W) i एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया था।

जिसमें श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर डा० प्रीतिंदर सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदयनगर (दक्षिण) कानपुर नगर श्री दीपक भूकर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गोविन्दनगर का०नगर श्री विकास कुमार पाण्डेय के निर्देशन में व प्र०नि० श्री कुंज बिहारी मिश्रा थाना नौबस्ता के नेतृत्व में नौबस्ता पुलिस द्वारा आज दि० 20.11.2020 मुखबिर की सूचना अभि० बऊवन तिवारी पुत्र स्व० दुर्गाशंकर तिवारी निवासी 253 EWS खाड़ेपुर कालोनी थाना नौबस्ता कानपुर नगर मूल पता ग्राम उरिया कुमड़िया पोस्ट व थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष को पहली पुलिसिया हंसपुरम से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



बऊवन तिवारी

➤ नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बऊवन तिवारी पुत्र स्व० दुर्गाशंकर तिवारी निवासी 253 EWS खाड़ेपुर कालोनी थाना नौबस्ता का०नगर मूल पता ग्राम उरिया कुमड़िया पोस्ट व थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री कुलदीप सिंह चौ०प्र० हंसपुरम थाना नौबस्ता का०नगर
2. का० 2549 रामकिशोर थाना नौबस्ता कानपुर नगर
3. का० 1955 गौरव तोमर थाना नौबस्ता कानपुर नगर
4. का० 2260 राहुल कुमार थाना नौबस्ता कानपुर नगर